न्यायालय उपजिलाधिकारी, फरेन्दा (जनपद–महराजगंज)

डा0 रजत लता मिश्रा———————————————बनाम———————————————सरकार

निरस्त किया निरस्त किया निरस्त किया

वाद संख्याः 198/18
अर्न्तगत धारा–143 ज0वि0अ0
ग्राम सोहरवलिया खुर्द, परगना–हवेली,
तहसील–फरेन्दा, जनपद–महराजगंज।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही डा0 रजत लता मिश्रा, अध्यक्ष, स्वर्णप्रभा पब्लिक वेलफेयर सोयाइटी, निरालानगर, आनन्दनगर, तहसील फरेन्दा जनपद महराजगंज के प्रार्थना पत्र पर इस आशय से प्रारम्भ हुई कि सोसाइटी की गाटा सं0 142, 140ख, 414, 139 व 135 कुल 5 किता रकबा 1.08 हे0 भूमि स्थित ग्राम सोहरवलिया खुर्द परगना हवेली, तहसील फरेन्दा जनपद महराजगंज मौके पर कृषि कार्य नही हो रहा है तथा अकृषिक रूप में प्रयोग किया जा हा है। उक्त गाटे को आबादी घोषित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार फरेन्दा की आख्या प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया।

तहसील की प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार फरेन्दा द्वारा प्रदत्त की गयी आख्या में कहा गया है कि गाटा सं0 142, 140ख, 414, 139 व 135 कुल 5 किता रकबा 1.08 हे0 भूमि स्वर्णप्रभा पब्लिक वेलफेयर सोयाइटी द्वारा अध्यक्ष डा0 रजत लता मिश्रा के नाम अकिंत है। उक्त भूमि पर विद्यालय निर्माणाधीन है। उक्त अकृषिक प्रयोजन में है व कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि को नजरी नक्शा में प्रदर्शित की गयी है। धारा 143 ज0वि0अ0 के अर्न्तगत उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने की रिपोर्ट दी गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम सोहरवलिया खुर्द की गाटा सं0 142, 140ख, 414, 139 व 135 कुल 5 किता रकबा 1.08 हे0 भूमि स्वर्णप्रभा पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी, द्वारा अध्यक्ष डा0 रजत लता मिश्रा के नाम अकिंत है तथा विद्यालय के भवन का निर्माण हो रहा है। उक्त अकृषिक है। वादी द्वारा उक्त गाटों को आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र, शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा स्वंय का बयान अकिंत कराया गया है। तहसीलदार फरेन्दा की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार फरेन्दा की आख्या से सहमत होते हुए ग्राम सोहरवलिया खुर्द, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा की खाता सं0 566 में दर्ज गाटा सं0 142, 140ख, 414, 139 व 135 कुल 5 किता रकबा 1.08 हे0 भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है, कि खाते को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाय। आदेश की प्रति तहसीलदार फरेन्दा/उपनिबन्ध फरेन्दा को अनुपालनार्थ हेतु भेजी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

09/10/2018

(सुरेन्द्र सिंह)
उपजिलाधिकारी
फरेन्दा–महराजगंज

प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि

नकल प्रार्थना प्रस्तुत करने की तिथि 12/09/2022
नकल तैयार होने की तिथि 14/09/2022
नकल वितरण करने की तिथि 14/09/2022
प्रतिलिपि तैयार करने वाले का हस्ताक्षर
मिलानकर्ता के हस्ताक्षर

रीडर/अह0
न्यायालय उपजिलाधिकारी